कमिश्नर वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उ0प्र0

प्रार्थी :- श्री सौरभ अग्रवाल , श्री तनवीर हसन तथा श्री इतरत अली, ,बॉस मण्डी ,नजीबाबाद , जिला बिजनौर ।

प्रार्थना पत्र सं0 :- 17 / 2008

प्रार्थी की ओर से :- श्री सौरभ अग्रवाल , स्वामी फर्म सर्वश्री सौरभ एजेन्सीज ,बॉस मण्डी नजीबाबाद , जिला बिजनौर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- श्री सौरभ अग्रवाल , श्री तनवीर हसन तथा श्री इतरत अली, बॉस मण्डी ,नजीबाबाद , जिला बिजनौर के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित करअध्यादेश 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 22-1-08 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें '' **वृक्ष की जड़ो जो केवल जलाने के काम आती है** ''पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद से आख्या मॉगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 13-2-08 पर श्री सौरभ अग्रवाल , स्वामी फर्म सर्वश्री सौरभ एजेन्सीज उपस्थित हुये । धारा-59 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया ।

4- मैनें प्रार्थी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । वृक्ष की जड़े ,जो कि जड़ी बूटी नही है तथा जो केवल जलाने के काम में आती है ,उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत विज्ञापित अनुसूची 1 के क्रमांक 15 पर अंकित प्रविष्टि '' जलाऊ लकड़ी जिसमें कैस्यूराइना एवं यूक्लिप्टस की टिम्बर शामिल नहीं है '' के अन्तर्गत करमुक्त है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 13, फरवरी ,2008

ह0 13-2-08

(सुनील कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com